कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

दूरभाष [illegible] फैक्स [illegible] whatsapp 9458192106, ई-मेल pccfuk@gmail.com

पत्र सं० PC-152 देहरादून, दिनांक [illegible] 2015

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।

विषय: वन भूमि हस्तान्तरण, विशेषरूप से मोटर मार्गों, के प्रस्तावों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

[illegible] कहना है कि दिनांक 19.8.2015 को मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इस सम्बन्ध मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये, जिन पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है–

1. अमुक लम्बित प्रकरण के निस्तारण की औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रभावित वृक्षों का छपान युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए।
2. [illegible] दी जाय, जिससे वृक्षों का कटान माह अक्टूबर, 2015 के [illegible]
3. [illegible] प्रकरणों की सूचना नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है, जिनका प्रस्तावबार परीक्षण करके प्रभागीय वनाधिकारी तथा वन संरक्षक के स्तर पर वांछित कार्यवाही आगामी 15 दिन में पूर्ण करके अनुपालन की सूचना अपलोड कर दी जाय।

यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाना है कि [illegible] की गणना वृक्ष के रूप में नहीं की जाय तथा प्रस्ताव में केवल आरक्षित वन के अन्तर्गत आने वाले वृक्ष ही सम्मिलित किये जायें। नापलैण्ड में स्थित जो वृक्ष सड़क निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं उनका निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके किया जाय। यदि उक्तानुसार नापलैण्ड पर अवस्थित वृक्षों की संख्या अधिक होती है तो प्रस्तावक विभाग के स्तर से आख्या प्राप्त की जायेगी कि अमुक संख्या में अमुक प्रजाति के वृक्ष विकास कार्य हेतु बाधक है, जिनका निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

4. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रस्तावक विभाग के अधिकारियों को सम्बन्धित [illegible] प्रभागीय [illegible] अपने कार्यालय में [illegible] यथावांछित कार्यवाही सुनिश्चित [illegible] वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण त्वरित गति से निस्तारित हो सकें।
5. [illegible] द्वारा निर्देश दिये गये कि नोडल [illegible]

[illegible] वन संरक्षण,

[illegible] प्रस्तावक विभाग [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ले तथा [illegible] [illegible] सुनिश्चित कर लें।

भवदीय

(डा. श्रीकान्त चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या: FC-152 ,उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि—अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि आप NIC से सम्पर्क करके वीडियो कांफ्रेसिंग में फील्ड अधिकारियों द्वारा अवगत करायी गयी साफ्टवेयर की समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें तथा उक्तानुसार कार्यशालाओं की तिथि भी निर्धारित कर लें।

प्रतिलिपि—समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अपने [illegible] कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दें।

प्रतिलिपि— [illegible] वन संरक्षक, आई0टी0, वन मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वेबसाइट में भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों की प्रगति लगातार अपलोड करते रहें।

(डा. श्रीकान्त चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड।

उत्तरकाशी वन प्रभाग
पत्रांक.........
पत्रावली सं0.........
नाम.........
दिनांक.........

पत्र संख्या: FC-152 ,उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि—प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। पैरा—3 में रेखांकित भाग से वीडियो कांफ्रेंसिंग में [illegible] के अधिकारियों की समस्या का निदान हो जाता है।

पत्रांक R-850/12-1, 1 दि0 -02/9/19
प्रतिलिपि - प्र. व. अ० उत्तरकाशी, टिहरी
[illegible]

(डा. श्रीकान्त चन्दोला)
प्रमुख वन संरक्षक,